दिनांक; 12-05-2017

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
३६, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली- 110001

***

प्रेस नोट

शीर्षक: उत्तर प्रदेश से खोकर असम पंहुचा बच्चा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रयास द्वारा अपने परिवार से मिला|

27 नवम्बर, 2016 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के माननीय सदस्य के गुवाहाटी दौरे के समय एक प्रकरण सामने आया कि, चाइल्ड लाइन गुवाहाटी के द्वारा बताया गया, एक बालक जिस का नाम कमल (असल नाम नहीं) तथा उम्र ग्यारह वर्ष है, जो अपने को छपरा, कुशीनगर का रहने वाला बताता है और उस का परिवार का पता नहीं चल पा रहा है| चाइल्ड लाइन, गुवाहाटी ने उसे बिहार का समझ लिया था| उस बालक के परिवार तथा गांव को ढूंढने का प्रयास गलत दिशा मैं चलने लगा| आयोग द्वारा खोज करने पर पता चला कि, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में लगभग 45 छपरा नामक स्थान हैं और संभावित इन्ही किसी गांव से यह बच्चा खोया है| इस बात का पता चलते ही दिनांक 14-12-2016 को जिलाधिकारी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को वस्तुस्थिति बताते हुए पत्र लिख कर सूचित किया गया तथा लगातार जिलाधिकारी को स्मरण कराया जाता रहा कि, बालक के परिवार का शीघ्र पता लगाया जाये| अंततः दिनांक 10 मार्च, 2017 को बालक के परिवार का जो कि, तरया सुजान, तमकूही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं का पता लगा कर, बालक को विधिवत बाल कल्याण समिति, कुशीनगर के पुनर्मिलन आदेश के द्वारा परिवार से मिलवा दिया गया|

आयोग के अथक प्रयास से एक और खोये बालक को उस का परिवार वापस मिल गया|

पायल (परामर्शदाता)

<u>सलाहकार (मिडिया)</u>

CL (IT)

Pl. upload in the Success Story Section.

19/5/2017.